E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0 : 01/भू0अ0नि0 (13) आरोप (बेगूसराय)–10/2023 149 **पटना, दिनांक** 08/01/2025

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–551 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सुश्री आरती कुमारी (Emp.Id-AEN04462), विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध लगातार लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1769 दिनांक 09.04.2024 द्वारा सुश्री कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 2045 दिनांक 08.05.2024 द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी से अनुशंसा सहित सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। बन्दोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 1527 दिनांक 13.09.2024 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराय गया है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि ये दिनांक 26.06.2023 से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित है एवं 698 खेसरा वाले मोमिनाबाद मौजा के प्रभार में दिनांक 26.12.2022 से रहते हुए, उन्होंने प्रपत्र–06 की इन्ट्री का कार्य भी अधूरा छोड़ रखा गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा योगदान करने हेतु दिए गए निदेश को नजर अंदाज करते हुए सुश्री कुमारी द्वारा दिनांक 05.07.2024 से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया है, जिसके फलस्वरूप बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा संविदा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, सुश्री कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया है कि इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में आँख की समस्या होने का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है एवं स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर पुनः कार्य करने की भी बात अंकित की गयी है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में सुश्री कुमारी का दिनांक 05.07.2024 से त्याग पत्र देने का उल्लेख किया गया है। एक तरफ इनके द्वारा कार्य करने की बात की जा रही है एवं दूसरी तरफ त्याग पत्र दिया जा रहा है, जो इनके मनमानेपन को स्वतः परिलक्षित कर रहा है। ये स्वयं ही तय नहीं कर पा रही है कि यह कार्य करना चाहती है या नहीं। इनका कृत्य अपने वरीय पदाधिकारियों को गुमराह करने जैसा है।

चूँकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। इनका इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने से इन्हें आवंटित कार्य बाधित हुआ है एवं इनके द्वारा निदेशालय एवं बन्दोबस्त कार्यालय को अलग–अलग स्पष्टीकरण/आवेदन देकर गुमराह किया जा रहा है, इनका आचरण स्वच्छ संविदा कर्मी के सर्वथा प्रतिकूल है, इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के फलस्वरूप बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 की कंडिका–8 के आलोक में सुश्री कुमारी (Emp.Id-AEN04462), विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

7/1

(जे.प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\JYOTI 2025\Manisha Ji\Order\Director\10-2023-03-01-2025 (Terminate Aarti).doc

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (13) आरोप (बेगूसराय)–10/2023 149 पटना, दिनांक 08/01/2025

प्रतिलिपि : सुश्री कुमारी (Emp.Id-AEN04462), विशेष सर्वेक्षण अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (13) आरोप (बेगूसराय)–10/2023 149 पटना, दिनांक 08/01/2025

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (13) आरोप (बेगूसराय)–10/2023 149 पटना, दिनांक 08/01/2025

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इसकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप